बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

परिवेश भवन, एन0एस0बी0–2,पाटलिपुत्रा औद्योगिक क्षेत्र,सदाकत आश्रम पटना–800010 दूरभाष संख्या : 2261250 / 2262265,
ई–मेल–bspcb@yahoo.com, msbspcb-bih@gov.in वेबसाईट–http://bspcb.bihar.gov.in

अधिसूचना संख्याः 06 **दिनांकः** 03-04-23

:अधिसूचना :

जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण)अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के तहत पर्षद् मंडल की 113वीं बैठक, दिनांक 14.11.2022 के कार्यावली संख्या 10 अन्यान्यन विषय (4) में लिये गये निर्णय के आलोक में अधिसूचित किया जाता है किः

1. व्यवसायिक प्रयोजन हेतु भवन परियोजना जिसका निर्मित क्षेत्र (Built-up-Area) ≥ 5,000 sq.m तथा < 20,000 sq.m है, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् से स्थापनार्थ (Consent-to-Establish) एवं संचालनार्थ (Consent-to-Operate) सहमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। पूर्ववत् 20,000 sq.m से अधिक के निर्मित क्षेत्र (Built-up-Area) के भवन परियोजनाओं के लिए सक्षम प्राधिकार से पर्यावरणीय स्वीकृति (Environmental Clearance) प्राप्त कर पर्षद् से स्थापनार्थ (Consent-to-Establish) एवं संचालनार्थ (Consent-to-Operate) सहमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
2. निर्मित क्षेत्र (Built-up-Area) ≥ 5,000 sq.m से < 20,000 sq.m तक को हरा श्रेणी (Green Category) तथा ≥ 20,000 sq.m को नारंगी श्रेणी (Orange Category) में रखा गया है।
3. इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु निर्मित क्षेत्र (Built-up-Area) वही माना जायेगा जो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचनाः का0आ0 3999 (अ) दिनांक 09.12.2016 के अधीन जारी की गई है यथा सभी तलों को एक साथ मिलाकर निर्मित या आच्छादित क्षेत्र जिसके अन्तर्गत उसका बेसमेंट भी है, जो भवन निर्माण तथा संनिर्माण परियोजनाओ में प्रस्तावित है।

यह अधिसूचना निर्गत की तिथि से अगले आदेश तक के लिये लागू होगा।

03/4/23

(एस0 चन्द्रशेखर)
सदस्य-सचिव